

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

D. C. (South)

Date..... 01/02/11

Diary No..... 1900

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY



सं. 45] दिल्ली, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2010, बुधस्पतिवार/कार्तिक 21—कार्तिक 27, 1932 [सारासं. सं. 196, 198]
No. 45] DELHI, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2010, THURSDAY/KARTIKA 21—KARTIKA 27, 1932 [N.C.T.D. No. 196, 198]

भाग—IV
PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 15 नवम्बर, 2010

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 15th November, 2010

No. F. 4/2/2003-Home(G)/5255.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Ashish Mohan and Shri Rajeeva Shukla, Danics Officers presently working as SDMs' (Najafgarh & Shahdara) respectively to be the Executive Magistrate in the National Capital Territory of Delhi, till such time they holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,
R. CHOPRA, Jt. Secy. (Home)

सं. फा. 4/2/2003/गृह (सामान्य)/5255.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. यू-11011/2/74-यू.टी.एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री आशीष मोहन एवं श्री राजीवा शुक्ला, दानिक्स अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी (नजफगढ़ एवं शाहदरा) दिल्ली क्रमशः को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसकी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,
आर. चोपड़ा, संयुक्त सचिव (गृह)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1466)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./5955.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कनक रीसोर्सिज मैनेजमेन्ट लि., डी-64, डीफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 7,20,80,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 34,00,001 से 1,06,08,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 72,080 (रुपए बहत्तर हजार अस्सी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 10th November, 2010

F. No. 10(1466)/COS(HQ)/Cons. Duty/5955.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Kanak Resources Management Limited, D-64, Defence Colony, New Delhi-110024, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 72,080 (Rs. Seventy Two Thousand Eighty) only on the aggregate value of share of Rs. 7,20,80,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 34,00,001 to 1,06,08,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 11 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1473)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./5971.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री दिल्ली ट्रांसको लि., शक्ति सदन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 3,19,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,63,20,00,001 से 3,95,10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 31,90,000 (रुपए इक्कतीस लाख नब्बे हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 11th November, 2010

F. No. 10(1473)/COS(HQ)/Cons. Duty/5971.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Delhi Transco Limited, Shakti Sadan, Kotla Marg, New Delhi-110002, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 31,90,000 (Rs. Thirty One Lac Ninety Thousand) only on the aggregate value of share of Rs. 3,19,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,63,20,00,001 to 3,95,10,00,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1479)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6004.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वीएनएस सॉफ्टवेयर डवलपर्स, प्रा. लि., 207, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली-110003, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 8,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 800 (रुपए आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 12th November, 2010

F. No. 10(1479)/COS(HQ)/Cons. Duty/6004.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. VNS Software Developers Private Limited, 207, Golf Links, New Delhi-110003, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 800 (Rs. Eight Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 8,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 90,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1474)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./6005.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विस्तार कन्सट्रक्सन्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश

एन्क्लेव पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपए 4,35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,48,391 से 48,98,390 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपए 43,500 (रुपए तैंतालीस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1474)/COS(HQ)/Cons. Duty/6005.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vistar Constructions Private Limited, C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 43,500 (Rs. Forty Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 4,35,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,48,391 to 48,98,390 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1471)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6006.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री असीम ऑटो पार्ट्स प्रा. लि., सी-124बी, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 1,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 50,000 (रुपए पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1471)/COS(HQ)/Cons. Duty/6006.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ashim Auto Parts Private Limited, C-124B, Greater Kailash-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of share of Rs. 5,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 1,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1475)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6007.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज प्रा.लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव

पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 5,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 001 से 5,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 50,000 (रुपए पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1475)/COS(HQ)/Cons. Duty/6007.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Granite Gate Properties Private Limited, C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty Thousand) only on the aggregate value of share of Rs. 5,00,00,000 for preference share certificates with distinctive Nos. 001 to 5,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1468)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6011.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फ्लोरिना एयरलाइन्स लि., ई-3, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-2, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 4,95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 49,500 (रुपए उन्नास हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1468)/COS(HQ)/Cons. Duty/6011.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Floriana Airlines Limited, E-3, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp stamp duty of Rs. 49,500 (Rs. Forty Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 4,95,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 50,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1469)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6012.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं

कि सर्वश्री फ्लोरिना एयरलाइन्स लि., ई-3, मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-2, दिल्ली-110034, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 5,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 500 (रुपए पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1469)/COS(HQ)/Cons. Duty/6012.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Floriana Airlines Limited, E-3, Mangolpuri Industrial Area, Phase-II, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 5,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 50,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1472)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6013.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री श्री सी यूनिवर्सल डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 8,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 800 (रुपए आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1472)/COS(HQ)/Cons. Duty/6013.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Three C. Universal Developers Private Limited, C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 800 (Rs. Eight Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 8,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 90,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1476)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6008.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जार्जियो अरमानी इण्डिया प्रा. लि., ए-38, कैलाश

कॉलोनी, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 31,29,82,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 60,00,001 से 1,01,02,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 3,12,983 (रुपए तीन लाख बारह हजार नौ सौ तिरयासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1476)/COS(HQ)/Cons. Duty/6008.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Giorgio Armani India Pvt. Ltd., A-38, Kailash Colony, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,12,983 (Rs. Three Lac Twelve Thousand Nine Hundred Eighty Three) only on the aggregate value of share of Rs. 31,29,82,600 for equity share certificates with distinctive Nos. 60,00,001 to 1,01,02,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1478)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6009.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री हेसिएण्डा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 8,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 800 (रुपए आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1478)/COS(HQ)/Cons. Duty/6009.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Hacienda Infrastructure Private Limited, C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 800 (Rs. Eight Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 8,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 90,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1477)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6010.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं

कि सर्वश्री एसपीएल सॉफ्टवेयर डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 8,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 800 (रुपए आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1478)/COS(HQ)/Cons. Duty/6010.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ASPL Software Developers Private Limited, C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp stamp duty of Rs. 800 (Rs. Eight Hundred) only on the aggregate value of share of Rs. 8,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 90,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2010

सं. फा. 10 (1483)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6109.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नई दिल्ली सेंटर फॉर साइट प्रा.लि., बी-5/24, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 50,00,00,989 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 2,77,993 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 5,00,001 (रुपए पाँच लाख एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 16th November, 2010

F. No. 10(1483)/COS(HQ)/Cons. Duty/6109.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s New Delhi Centre For Sight Private Limited, B-5/24, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 5,00,001 (Rs. Five Lac One) only on the aggregate value of share of Rs. 50,00,00,989 for preference share certificates with distinctive Nos. 1 to 2,77,993 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1452)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6118.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक

24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अहलस्ट्रोम फाइबर कम्पोजिट्स इण्डिया प्रा.लि., 121 अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 25,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,50,00,001 से 15,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 2,50,000 (रुपए दो लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1452)/COS(HQ)/Cons. Duty/6118.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Ahlstrom Fibercomposites India Private Limited, 121 Ansal Bhawan, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,50,00,000 (Rs. Two Lac fifty thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 25,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 12,50,00,001 to 15,00,00,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1453)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6119.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अहलस्ट्रोम फाइबर कम्पोजिट्स इण्डिया प्रा.लि., 121 अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 5,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,00,00,001 से 12,50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 50,000 (रुपए पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1453)/COS(HQ)/Cons. Duty/6119.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Ahlstrom Fibercomposites India Private Limited, 121 Ansal Bhawan, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 50,000 (Rs. Fifty thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 12,00,00,001 to 12,50,00,000 to be issued by the said company.

4480 25/10-2

सं. फा. 10 (1482)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6120.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नूजिविडु सीड्स प्रा. लि., 905 नौवीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, कनाउट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 4,00,02,220 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 40,50,222 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 40,003 (रुपए चालीस हजार तीन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1482)/COS(HQ)/Cons. Duty/6120.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd. 905, 9th Floor, Kanchanjunga Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 40,003 (Rs. Forty Thousand Three) only on the aggregate value of shares of Rs. 4,00,02,220 for equity share certificates with distinctive Nos. 50,001 to 40,50,222 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1480)/मु. स.(मुख्या.)/स. शु./6121.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एनएसएल प्रॉपर्टीज प्रा.लि., 905 नौवीं मंजिल, कंचनजंगा बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, कनाउट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रु. 2,00,01,110 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 20,10,111 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रु. 20,002 (रुपए बीस हजार दो) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10(1480)/COS(HQ)/Cons. Duty/6121.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s NSL Properties Pvt. Ltd., 905, 9th Floor, Kanchanjunga Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,002 (Rs. Twenty Thousand Two) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,00,01,110 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 20,10,111 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority,
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)